राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
खाद्य भवन, भू–तल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

दिनांक 01.07.2015 को सांय 4.00 बजें माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कार्यकारी समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 01.07.2015 को सांय 4.00 बजें माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन समिति कक्ष प्रथम, शासन सचिवालय में किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारीगणों का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक में सर्वप्रथम शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग ने माननीय मुख्य सचिव महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रमुख शासन सचिवगणों का स्वागत करते हुए बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं को प्रस्तुतिकरण द्वारा अवगत कराया। विचार विमर्श के पश्चात निम्न निर्णय लिये गये :–

1. खरीफ फसल 2014 अभाव संवत 2071 में अभावग्रस्त 13 जिले यथा अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, चूरू, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, जोधपुर, प्रतापगढ़ एवं जैसलमेर के अभावग्रस्त क्षेत्रों में संचालित अनुग्रह सहायता हेतु उक्त जिला कलक्टरों को 30 दिवस के लिए अधिकृत किया गया था, जिसकी अवधि 30 दिवस से बढ़ाकर 60 दिवस व अधिकतम 90 दिवस किये जाने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।

2. खरीफ फसल 2014 (सम्वत् 2071) में अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त ग्रामों में 90 दिवस के पश्चात राहत गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिस हेतु राज्य सरकार द्वारा 140 करोड़ रूपये राज्य मद से उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किये गये परन्तु वित्त विभाग ने वर्तमान में एसडीआरएफ मद से खर्च करने हेतु निर्देश दिये गये।

अतः 90 दिवस के पश्चात संचालित राहत गतिविधियों में व्यय एस.डी.आर.एफ. मद से किया जा रहा हैं। संचालित की जा रही राहत गतिविधियों पर एसडीआरएफ मद से होने वाले व्यय का अनुमोदन किया गया।

3. भारत सरकार द्वारा दिनांक 8.4.2015 को नये एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स जारी नये एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स 1 अप्रेल, 2015 से प्रभावी है। खरीफ सम्वत् 2071 के अभावग्रस्त ग्रामों में दिनांक 1.4.2015 से संचालित पशु संरक्षण गतिविधियों (90 दिवस तक एवं 90 दिवस से अधिक अवधि दोनों) में नये नोर्म्स/नई दर अनुसार अनुदान दिये जाने के संबध में भारत सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक पुराने नॉर्म्स की दर से ही अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया।

4. रबी फसल 2015 अभाव संवत 2071 में अभावग्रस्त 29 जिलों (बांसवाड़, डूंगरपुर, सीकर एवं प्रतापगढ़ के अलावा) के अभावग्रस्त क्षेत्रों में संचालित अनुग्रह सहायता, पशुसंरक्षण गतिविधियों यथा पशुशिविर/गौशाला एवं पेयजल परिवहन व्यवस्था आदि के संचालन हेतु जिला कलक्टरों को 30 दिवस के लिए अधिकृत किया गया था। जिले में संचालित उक्त राहत गतिविधियों का संचालन 15 जुलाई तक किये जाने का निर्णय लिया गया।

5. भारत सरकार द्वारा दिनांक 8.4.2015 को जारी एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार फरवरी, मार्च में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों को नये नोर्म्स से सहायता की छूट देते हुए नये नोर्म्स दिनांक 1 अप्रेल, 2015 से प्रभावी किए गये । उक्त आदेशों की भावना को ध्यान में रखते हुए फरवरी, मार्च में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों को हुई क्षति यथा मानव, पशु, आवास के लिये नये नॉर्म्स की दर के अनुसार सहायता देने का निर्णय लिया गया।

6. अभाव सम्वत् 2071 में रबी फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त घोषित 29 जिलों की अभावग्रस्त एवं गैर अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं के बड़े–छोटे पशुओं को अनुदान स्वीकृत करने का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

7. अभावग्रस्त जिलों में गौशालाओं के पशुओं के लिए अनुदान तहसीलदार की प्रथम निरीक्षण रिपोर्ट की दिनांक के आधार पर स्वीकृति जारी करने हेतु लिए गये निर्णय का अनुमोदन गया।

8. रबी सम्वत् 2071 में अभावग्रस्त घोषित 29 जिलों मे से अजमेर, भीलवाड़ा, बून्दी, चित्तोड़गढ़, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, राजसमन्द, टोंक एवं उदयपुर जिलों के कुल गांवों में से अभावग्रस्त राजस्व ग्रामों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक होने के कारण इन जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्र में पेयजल परिवहन व्यवस्था करने एवं शेष जिलों यथा अलवर, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालोर, झुन्झुनूं, करौली, नागौर, पाली, स0माधोपुर, सिरोही में अभावग्रस्त घोषित गांवों की संख्या 25 प्रतिशत से कम होने के कारण केवल अभावग्रस्त घोषित गावों में ही पेयजल परिवहन व्यवस्था एस.डी.आर.एफ. से करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।

9. वित्तीय वर्ष 2014–15 में अकाल एवं बाढ़ मद में किये गये कुल व्यय राशि 1,57,056.88 लाख का अनुमोदन किया गया।

10. वित्तीय वर्ष 2015–16 में एस.डी.आर.एफ. मद से किए गए आवंटन राशि रूपये 247615.44 लाख रूपये का अनुमोदन किया गया।

11. जिला जयपुर के बस्सी एवं चाकसू उप खण्ड की क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर जयपुर ने बताया कि

वित्तीय वर्ष 2014–15 में अत्यधिक वर्षा से जल भराव होने के कारण इन सडकों को तौड कर पानी की निकासी की गयी थी, वर्तमान में उक्त सडकें क्षतिग्रस्त है, जिससे काफी दुर्घटनाएं होती है। अतः इन दुर्घटनाओं को रोकने एवं आमजन की सुविधा के लिये इन क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत करवाया जाना अति आवश्यक है। अतः उक्त कार्यो की आवश्यकता को देखते हुए उपखण्ड बस्सी के 10 कार्य एवं चाकसू के 15 सडकों की मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में नवीनीकृत प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर बजट आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

12. अतिरिक्त एजेण्डा – (1) खरीफ सम्वत् 2071 में पशु संरक्षण गतिविधियॉ संचालित करने हेतु दिनांक 31.7.15 तक की अवधि निर्धारित की थी, परन्तु जिन पशु शिविरों में संचालन अवधि 90 दिवस से अधिक हो गयी थी, उनको तीन माह अप्रेल, मई व जून का व्यय राज्य मद में प्रावधान रखते हुए वर्तमान एस.डी.आर.एफ. में खर्च करने का वित्त विभाग द्वारा निर्देश दिये गये थे। एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में आवंटित राशि 1103 करोड रूपये के विरूद्ध 25 प्रतिशत सीमा तक 90 दिवस से अधिक गतिविधियों का संचालन किया जा सकता है। उक्त खर्च की सीमा 25 प्रतिशत के अन्तर्गत लगभग 87 करोड रूपये ही आ रही है। अतः इन पशु शिविरों को 15 जुलाई, 2015 तक उक्त गतिविधियों के संचालन का निर्णय लिया गया, परन्तु भुगतान की दरें भारत सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक पुराने नॉर्म्स की दरें बडे पशु हेतु 50/– रूपये प्रति पशु एवं छोटे पशु हेतु 25/– रूपये प्रति पशु की दर पर ही भुगतान किया जावे।

(2) माननीय सांसद, सीकर द्वारा माननीय मुख्यमन्त्री महोदय को सम्बोधित पत्र में सीकर जिले को भी अभावग्रस्त घोषित करते हुए गौशालाओं को भी अनुदान देने हेतु प्रकरण पर राज्य कार्यकारी समिति द्वारा चर्चा की गई। चूँकि सीकर जिले में कोई भी गॉव अभावग्रस्त घोषित नहीं है तथा वर्तमान प्रावधानानुसार अभावग्रस्त नहीं होने की स्थिति में गौशालाओं का संचालन एस.डी.आर.एफ. से नहीं किया जा सकता है। सीकर के मात्र एक ग्राम में 45.85 प्रतिशत खराबा है तथा वर्तमान में राजस्थान में पूर्व वर्ष की वर्षा की तुलना में औसत अधिक बारिश हुई है तथा सीकर में भी पूर्व वर्षा की तुलना में अधिक बारिश है। अतः उक्त परिस्थितियों में वर्तमान प्रावधानानुसार सीकर जिले को गौशाला संचालन हेतु अनुदान नहीं दिया जा सकता।

तत्पश्चात बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकःएफ.1(1)(5) आ.प्र.एवं सआ/सामान्य/III/2007/8963-73 जयपुर, दिनांक 6.7.15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, एवं उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, कृषि विभाग, जयपुर
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर
6. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर
8. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर
9. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर
10. निदेशक, मौसम विभाग, जयपुर
11. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर

संयुक्त शासन सचिव